

हिमाचल प्रदेश सरकार
शहरी विकास विभाग

संख्या: यू 0 ए 0 (3)-6/2011 तारीख शिमला -2

1-2-2012

अभिप्रेतना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी, अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के लिए उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा नियत समय सीमा को निम्नलिखित प्रकार से अभिसूचित करती है, अर्थात् :-

क्र. सं	सेवा/लोक सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रपत्र	सेवा प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	व्यक्ति जो सेवा के लिए आवेदन करेगा	सेवा के लिए समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जन्म का राजिस्ट्रीकरण	सहायक आयुक्त, नगर-निगम / कार्यकारी / आधिकारी, नगर परिषद / मन्थित, नगर पंचायत।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु राजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के अन्वीन विहित प्रकरण सं 0 7 पर।	विकेल्सा आधिकारी की रिपोर्ट, यदि जन्म स्वास्थ्य संस्थान में हुआ है, यदि जन्म घर पर हुआ है तो जन्म प्रपत्र परिचारिक विकेल्सक / नर्स / प्रशिक्षित	माता-पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य।	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु राजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के अनुसार।

Yur

2

	दाई / वॉल पार्षद द्वारा समयक रूप से हस्ताक्षरित हो।				
2. मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण रखापरि।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के अधीन विहित प्ररूप नो 8 पर। त्रिकोणा अधिकायी की रिपोर्ट, यदि मृत्यु स्वास्थ्य संस्थान में हुई है, यदि मृत्यु घर पर हुई है तो रिपोर्ट परिचारिक / चिकित्सक / डॉ. पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित हो।	माता-पिता या कोई अन्य परिचारिक सदस्य।	दो दिन	आशुवत, नगर निगम / सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के अनुसार।
3. विवाह का रजिस्ट्रीकरण रखापरि	हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार विहित प्ररूप पर विवाह करने वाले व्यक्तियों का द्यौरा	माता-पिता या कोई अन्य परिचारिक सदस्य	दो दिन	आशुवत, नगर निगम / सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	
4. जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।	नाम, जन्म तिथि / मृत्यु / विवाह और अन्य सुसंयत द्यौरे	परिवार का कोई व्यक्ति	दो दिन	आशुवत, नगर निगम / सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	
5. राशन कार्ड बनाना।	सहायक आयुक्त, उपबन्ध 'क' पर विहित	परिवार का कोई व्यक्ति	प्रद्वै कार्य दिवस	आशुवत, नगर निगम / सम्बद्ध	

<p>नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद / सचिव, नगर पंचायत</p>	<p>प्रकार प्रति पर अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित विहित प्रारूप पर आवेदन, मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित पूर्ववर्ती अभिलेख / अस्थापित प्रमाणपत्र / परिष्कृत / विलोपन प्रमाण पत्र / शपथ पत्र डिप्टी धारक की रिपोर्ट ।</p>	<p>स्वाामी या किरायेदार</p>	<p>साट दिन</p>	<p>उप-मण्डल मजिस्ट्रेट</p>	<p>सम्बन्ध नगर परिषद द्वारा अथवा विहित फीस ।</p>
<p>6. * जल आपूर्ति निकास कनेक्शन</p>	<p>सहायक आयुक्त, नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद / सचिव, नगर पंचायत</p>	<p>उपावस्था - रूख पर विहित प्रारूप प्रति पर</p>	<p>पूर्ण / मजदूरी पत्र कर शोधन, स्वामीत्व, स्थल योजना और किरायेदार की दशा में स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र, कभिड अभियन्ता, सहायक अभियन्ता / अभियन्ता, नगर निगम की</p>	<p>अयुक्त, नगर निगम / सम्बन्ध उपमण्डल मजिस्ट्रेट ।</p>	<p>नगर परिषद द्वारा अथवा विहित फीस ।</p>

Handwritten signature

क्र.	भवन योजना (प्लान) योजना (प्लान) की अनुज्ञा/नक्शा	उपाब्ध-ग पर विहित प्ररूप प्रति पर ।	प्ररूप में यथा विहित	सम्पत्ति का स्वामी	नबे दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
क	नई योजना की अनुज्ञा	सहायक आयुक्त, नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद / सत्रिय नगर पंचायत ।	यथापरि	यथापरि	यथापरि	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथापरि
ख	संशोधित एवं पूर्ण योजना (प्लान)	यथापरि	प्ररूप में यथा विहित	सम्पत्ति का स्वामी	नबे दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथापरि
ग	पूर्ण योजना (प्लान) (सभी प्रकार से भवन के पूर्ण होने के पश्चात)	यथापरि	यथापरि	यथापरि	साठ दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथापरि
घ	पुरानी पद्धति पर पुनर्निमाण	यथापरि	यथापरि	यथापरि	साठ दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथापरि
ङ	भवन उपयोग का परिवर्तन	यथापरि	यथापरि	यथापरि	साठ दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथापरि

Amr

8	बी पी एल प्रमाण पत्र का जारी होना	यथापरि	सादर कागज पर आवेदन	कार्ड की प्रति / शपथ -पत्र यदि अपेक्षित हो, नाम सहित परिवार सदस्य की सूची, परिवार के मुख्य का फोटोग्राफ ।	कार्ड व्यक्ति	सात दिन	मजिस्ट्रेट आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथापरि
9	विजली के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	यथापरि	यथापरि	भजूरी का सदस्य	कार्ड व्यक्ति	तीस दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप मण्डल मजिस्ट्रेट	यथापरि

*ये केवल उन्हीं स्थानीय निकायों में लागू होगा जहां दोनों सेवार उन्हीं के नियन्त्र में हों।

विनिरिस्ट दरतावेजो सहित अनुरोध, आवेदन विहित प्ररूप पर सेवा के लिए पदाभिहित अधिकारी या उभरत अधिनस्था ऐसे आवेदन को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को किया जा सकता है। अभिस्वीकृति, हिभायत प्रदेश लोक सेवा गारटी नियम के अनुसार जारी की जाएगी। समस्त पदाभिहित अधिकारियों को प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए आदेश जारी करना और उन्हें अधिनियम की धारा 5 के अनुसार सूचना पद पर प्रदर्शित करना अपेक्षित है।

धारा 6 के अधीन आवेदन अर्स्वाकार करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या नियम समय सीमा के अवसान के भीतर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकेगी।

Yash

प्रथम अपीलार्थ प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश, जो द्वितीय अपीलार्थ प्राधिकारी है के समक्ष दाखिल कर संकेगा ।

आदेश द्वारा,


प्रधान सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या : यथापहि
प्रतिलिपि निम्न प्रकार से प्रेषित है:-

तारीख: शिमला

1-2-2012

1. सम्स्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. सचिव, प्रशासनिक सुधार हिमाचल प्रदेश सरकार ।
3. सहायक निधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
4. निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-2
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, हिमाचल प्रदेश ईकाई, शिमला-2


अवर सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(Authoritative English Text of this Department Notification No UD-A(3)-6/2011 dated 1.02.2012 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Urban Development

No: UD-A(3)-6/2011

Dated Shimla-2,

1.02.2012.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act, 2011 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Services, Designated Officers, First Appellate Authority, Second Appellate Authority and the stipulated time limits for the purpose of above Act as under for the Department of Urban Development, Himachal Pradesh:-

S N	Name of service/public service	Designated Officer	Format of the application to obtain Service	List of documents required to obtain service	Person who can request for Service	Time limit for service	First Appellate Authority	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Registration of Birth	AC of M.Corp/EO of	On Form No.7 prescribed	Report of Medical officer, if birth takes place in Health Institute	Parents or any	2 days	Commr. of the Corp./SDM	As per the HP Registration

ves

		MCI Secy., of NP	under the H.P. Registration of Birth & Death Rules, 2003.	In case birth takes place at home, birth proforma duly signed by the family doctor/nurse/trained midwife/Ward Councilor,	other family member		Concerned.	of the Birth & Death Rules, 2003.
2	Registration of death	-do-	On Form No. 8 prescribed under the H.P. Registration of Birth & Death Rules, 2003.	Report of Medical Officer, if death takes place in Health Institute. In case death takes place at home, report signed by the family doctor/Ward Councilor.	Parents or any other family member	2 days.	Commr. of the Corp./SDM concerned.	As per the H.P. Registration of Birth & Death Rules, 2003.
3	Registration of Marriage	-do-	On prescribed form as per the provision of Registration of Marriage Act, 1996	Detail of persons getting married,	Parents or any other family member	2 days	Commr. of the Corp./SDM concerned.	
4	Copy of Birth, death & marriage certificate	-do-		Name, date of birth/death/marriage/and other relevant details	Any person of family	2 Days	Commr. of the Corp./SDM concerned	
5	Preparation of ration card	AC of M. Corp/	On prescribed	Application on prescribed form duly	Any person	15 Working	Commr. of the Corp./	

See

		EO of MC/Secy., of NP	form, Copy at Annex-A	verified by the Ward Councillor or Gazetted Officer Previous record/ Surrender certificate/ Addition deletion certificate/ Affidavit duly attested by the Magistrate Depot holder report	of family	days	SDM concerned.	
6	Water supply/ Sewerage connection	AC of M. Corp/ EO of MC/Secy., of NP	On prescribed form, Copy at Annex-B	Completion/sanction letter, Tax clearance, Ownership/ Site plan and NOC of owner in case of tenants Tech. report of JE/AE/ME	Owner or tenant	60 days.	Commr. of the Corp./ SDM concerned.	Fees as prescribed by the municipality concerned
7	Building plan/Planning Permission/map.							
a	Fresh planning permission	AC of M. Corp/ EO of MC/Secy., of NP	On prescribed form, Copy at Annex-C	As prescribed in the Form.	Owner of the property	90 days	Commr. of the Corp./ SDM concerned.	Fees as prescribed by the municipality concerned
b	Revised -cum- Completion plan	-do-	-do-	As prescribed in the Form.	Owner of the property	90 days	Commr. of the Corp./ SDM concerned.	-do-
c	Completion plan (after completion-n of building in all respect)	-do-	-do-	-do-	-do-	90 days	Commr. Of the Corp./ SDM concerned.	-do-

W

d	Reconstruction on old line	-do-	-do-	-do-	-do-	60 days	Commr. of the Corp./SDM concerned.	-do-
e	Change of bulking use	-do-	-do-	-do-	-do-	60 days	Commr. of the Corp./SDM concerned.	-do-
8	Issuance of BPL Certificate.	-do-	Application on plain paper.	Copy of BPL card/Affidavit, if required List of family member with name Photograph of head of the family	Any person	7 Days	Commr. of the Corp./SDM concerned.	-do-
9	NOC for Electricity.	-do-	-do-	Reference of sanction	Any person	30 days	Commr. of the Corp./SDM concerned.	-do-

* This will be applicable only for those Municipalities where both the services are under their control.

The request for service on the application/Form prescribed alongwith specified documents can be made to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive such applications. An acknowledgement will be issued as per Himachal Pradesh Public Service Guarantee Rules. All designated officers are required to issue order for authorized person and display in the Notice Board as per section 5 of the Act.

An Appeal under Section 6 can be filed before the first appellate authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limits.

An Appeal against the order of the First Appellate Authority can be filed before the State Information Commission, Himachal Pradesh, who is the Second Appellate Authority.

By Order

Principal Secretary (UD) to the
Govt. of Himachal Pradesh.


Dated Shimla-2, the

02.2012

Encl. No. As above

Copy is forwarded to the following :-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of HP.
2. The Secretary (AR) to the Govt. of HP.
3. ALF-Cum- Under Secretaries (LAW) to the Government of HP.
4. The Director, Urban Dev. HP Shimla-2.
5. The Director, NIC, HP Unit, Shimla-2.


Under Secretary (U.D.) to the
Government of Himachal Pradesh.